



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-31072024-255959  
CG-HR-E-31072024-255959

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]

नई दिल्ली बुधवार, जुलाई 31, 2024/श्रावण 9, 1946

No. 429]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2024/ SHRAVANA 9, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2024

सा. का.नि. 468(अ).—जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा, प्रकाशन की तारीख को उस दिन के रूप में नियत करती है जिस दिन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की अनुसूची में क्रम संख्या 5 पर कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) से संबन्धित उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. क्यू-11047/05/एपी (जीएंडएम) अधिनियम/2022-मानक]

फ़ैज़ अहमद किदवाई, अपर सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2024

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the date of publication as the day on which the provisions at serial no. 5 in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 relating to Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) shall come into force.

[F. No. Q-11047/05/AP (G&M) Act/2022-Std.]

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (Marketing)